BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 12 सितम्बर 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या के 02 आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास व 55-55 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त कपिल कुमार पुत्र तेजराम सिंह व अभियुक्ता मेमवती पत्नी तेजराम सिंह निवासीगण ग्राम अहमदनगर थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2019 में अपने पिता/पति तेजराम की हत्या कर शव को जंगल में छुपाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 16.09.2019 को थाना बीबीनगर पर मुअसं– 151/2019 धारा 302, 34, 201 भादवि पजीकृत किया गया तथा दिनांक 19.11.2019 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 12 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 12.09.2024 को न्यायाधीश श्री विवेक कुमार (मा0 न्यायालय- एडीजे-05 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त कपिल कुमार व अभियुक्ता मेमवती को सश्रम आजीवन कारावास व 55-55 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विमल कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल, बुलन्दशहर